Regd.-J/412/1991

Estd-15 th August 1989

जय भारती शिक्षा केन्द्र
JAI BHARATI SHIKSHA KENDRA

Head Office
Regional Council
PGS INDIA Natural Farming

Regd.& Head Office-1005,Majhagawan Gram & Post Majhagawan, Tahsil-Sihora, Dist.-Jabalpur-Pin-483334
Ph.(07625) 271381 Email:jbsk.jbp89@gmail.com, bharatforjbsk@gmail.com Web:www.jbsk.org.

पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 23/06/2026

सेवा में,

माननीय जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश।

विषय: डिंडोरी के बजाग, समनापुर एवं करंजिया ब्लॉकों को 'लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन' (LAC) के माध्यम से 'डिफ़ॉल्ट प्राकृतिक खेती क्षेत्र' घोषित करने हेतु रणनीतिक प्रस्ताव।

संदर्भ: 1 भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के **'पारंपरिक कृषि विकास योजना' (PKVY)** के संशोधित दिशानिर्देश।

2 राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र (NCONF), गाजियाबाद द्वारा जारी **'लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन' (LAC)** परिचालन मार्गदर्शिका।

महोदया,

सादर निवेदन है कि हमारे संस्थान, **जय भारती शिक्षा केंद्र (क्षेत्रीय परिषद - प्राकृतिक खेती, PGS-India)** द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक **47 क्लस्टरों का सफल प्रमाणीकरण** किया जा चुका है। इस अनुभव के आधार पर हम डिंडोरी के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर 'डिफ़ॉल्ट प्राकृतिक खेती क्षेत्र' के रूप में स्थापित करने हेतु निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करते हैं:

1. लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन (LAC) का लाभ: भारत सरकार ने 2020-21 में उन क्षेत्रों के लिए LAC कार्यक्रम शुरू किया है जहाँ ऐतिहासिक रूप से रासायनिक खेती नहीं हुई है।

इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां [illegible] (Conversion Period) की आवश्यकता नहीं [illegible] सीधे प्रमाणित घोषित किया जा सकता है।

2. जिले की तकनीकी पुष्टता (Technical Justification)

- न्यूनतम रासायनिक उपयोग: [illegible] आंकड़ों के अनुसार, जिले में [illegible] फफूंदनाशी (Fungicide) की खपत [illegible] kg/ha और कीटनाशी (Insecticide) की खपत मात्र 0.0132 kg/ha है, जो इसे [illegible] बनाता है।
- भौगोलिक अलगाव: जिले का 47.[illegible]% भाग वन क्षेत्र और [illegible] से घिरा है, जो इसे रसायनों के [illegible] से प्राकृतिक रूप से [illegible] रखता है।
- जैव संसाधन की विरासत: [illegible] पूर्णतः प्राकृतिक और [illegible] है।
-

3. अन्य राज्यों के सफल उदाहरण: भारत सरकार पूर्व में [illegible] के तहत [illegible] (14,491 हेक्टेयर), लक्षद्वीप (2,700 हेक्टेयर) और [illegible] (illegible हेक्टेयर) को पहले ही प्रमाणित कर चुकी है। जिले के [illegible] और [illegible] इसी श्रेणी में आते हैं।

4. प्रस्तावित प्रशासनिक कार्यवाही (Action Required): [illegible] प्रमाणित कराने हेतु PGS-India के नियमों के तहत निम्नलिखित कदम उठाना अति आवश्यक है:

- संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा सामूहिक [illegible] पत्र और [illegible] पारित कराना कि वे रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे।
- कृषि विभाग द्वारा यह प्रमाणित कराना कि इन क्षेत्रों में रासायनिक खाद की बिक्री हेतु कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।
- NCONF के मानकों के अनुरूप मिट्टी और फसल के नमूनों का प्रयोगशाला परीक्षण (Residue Analysis) कराना।

5. वित्तीय एवं आर्थिक लाभ: LAC के तहत प्रमाणीकरण प्राप्त होने पर जिले को ₹2,000 **प्रति हेक्टेयर (3 वर्षों तक)** की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिसका उपयोग ब्रांडिंग और बाजार संपर्क (Market Linkage) के लिए किया जा सकेगा। इससे स्थानीय कोदो-कुटकी और बैगा राहर को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च मूल्य मिल सकेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि डिंडोरी की इस विशिष्ट जनजातीय विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु बजाग, समनापुर और करंजिया ब्लॉक को 'डिफ़ॉल्ट प्राकृतिक खेती क्षेत्र' घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद।

भवदीय,
(भारत लाल नामदेव)
डायरेक्टर, जय भारती शिक्षा केंद्र
क्षेत्रीय परिषद-प्राकृतिक खेती (PGS-India)
जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश।
मोबाइल 9425466762
Email- bharatforjbsk@gmail.com